न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया।

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 05/2020–21

अनुसूची – 14 फर्म सं0 563

प्रथम पक्ष– सुर्यमुनी देवी .... अपीलार्थी

बनाम

द्वितीय पक्ष– झारखण्ड सरकार ....उत्तरवादी

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
29/12/2020	(see below)	

प्रस्तुत वाद सुर्यमुनी देवी, पति मोहन प्रसाद गुप्ता, ग्राम बसिया थाना बसिया, जिला गुमला द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 04 R27/2020–21 में अंचल अधिकारी, बसिया के न्यायालय में दिनांक 16/05/2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया। वादगत् भूमि का विवरण :–

मौजा/थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा
भागीडेरा/128	01	559	0.3 ~~डिसमील~~ एकड़
		कुल रकबा	0.3 ~~डिसमिल~~ एकड़

उपरोक्त भूमि का नामान्तरण अस्वीकृत किया गया है।

अपीलकर्त्ता को सूनकर सुनवाई हेतु इस अपीलवाद को ग्रहण किया गया। अपीलकर्त्ता एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्त्ता द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय का दाखिल खारिज वाद संख्या 04 R27/2020–21 दिनांक 07/07/2020 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एंव संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, बसिया के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अस्वीकृत का कारण वादग्रस्त भूमि का ऑनलाईन पंजी ii में रकबा में त्रुटि है। त्रुटि सुधार हेतु सक्षम पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। सुधान हेतु पत्र प्राप्त होने पर सुधार कर दाखिल खारिज किया जा सकता है। पंजी पप में रकबा में त्रुटि सुधार होने संबंधी सक्षम पदाधिकारी से अप्राप्त होने के कारण दाखिल खारिज वाद को अंचल अधिकारी बसिया द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल आवेदन एवं अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा अस्वीकृत दाखिल खारिज वाद सं0 04 R27/2020–21 में दिनांक 07/07/2020 को पारित ऑनलाईन आदेश का अवलोकन किया। दाखिल खारिज आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्त्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलकर्त्ता नोटिस प्राप्त कर स्वयं उपस्थित हुए एवं कहना है कि मैं अशोक सिंह पिता स्व0 बाल मुकुंद सिंह ग्राम भागीडेरा से थाना सं0 128 थाना बसिया के खाता सं0 01 प्लॉट सं0 559 रकबा 0.03 ~~डिसमील~~ एकड़ भूमि रजिस्ट्री पट्टा के द्वारा खरीदे है। उस खाता प्लॉट रकबा की कुल जमीन अलग खरीदीान के नाम से हस्तानतरण हो गया जिसे सुधार कर मेरा दाखिल खारिज करने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोक के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूँ कि अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा दाखिल खारिज वाद सं 04 R27/2020–21 दिनांक 07/07/2020 को वादग्रस्त भूमि का ऑनलाईन पंजी ii में रकबा में त्रुटि है। त्रुटि सुधार हेतु सक्षम पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है। सुधार हेतु पत्र प्राप्त होने पर सुधार कर दाखिल खारिज किया जा सकता है। जिसके कारण अस्वीकृत किया गया है। अंचल अधिकारी, बसिया को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि से संबंधित अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल कागजातो का पूर्ण अवलोकन करते हुए अपीलकर्त्ता को पर्याप्त समय देकर भूमि का ऑनलाईन पंजी ii में रकबा त्रुटि सक्षम पदाधिकारी से सुधार से संबंधित प्रमाण, पत्र प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, बसिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बसिया, (गुमला)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 15:17:35 +05:30
Location: 192.168.1.10